

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री अरबिंद कुमार पिता- श्री राजु साव, श्रीमती ललिता देवी पति- छोटू साव ग्राम: बिंगलात, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी.बी.ए, 1957 आधिनियम के तहत थाना सं. 49, ग्राम: बिंगलात, (रैयती भूमि) खाता सं. 30; के अधीन प्लॉट सं. 277, 278, 280, 455, 456, 561, 570, 571, 671, 712; खाता सं. 6 के अधीन प्लॉट सं. 13, 39, 41, 95; कुल रक्कवा: -4.00 एकड़ (रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट <http://www.centralcoalfIELDS.in/indsK/notiEmp1Ind.php> पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (आम्पालि- चंद्रगुप्त), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनो के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

AJKM
19/09/2023